भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2884
05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्न कवरेज की पर्याप्तता

2884. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछली जनगणना के बाद से अब तक जनसंख्या में वृद्धि और राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न की बढ़ती मांग के मद्देनजर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्न कवरेज की पर्याप्तता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत लाभार्थी कवरेज को संशोधित करने, राशन कार्ड डेटाबेस को अद्यतन करने और पात्र, लेकिन शामिल नहीं किए हुए परिवारों को शामिल करने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा 'एक देश, एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) प्रणाली को मजबूत करने, शिकायत निवारण में सुधार करने, खाद्यान्न की हेराफेरी पर अंकुश लगाने और प्रवासी कामगारों तथा अन्य कमजोर लाभार्थियों को खाद्यान्न की घर तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान एनएफएसए और ओएनओआरसी के अंतर्गत शामिल किए गए, हटाए गए और सत्यापित किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अधिनियम 75% तक ग्रामीण तथा 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज पर्याप्त रूप से व्यापक है, ताकि समाज के सभी कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ सुनिश्चित हो सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 81.35 करोड़ के अपेक्षित कवरेज की तुलना में केवल 79.08 करोड़ व्यक्तियों को चिह्नित किया गया है। फिर भी, एनएफएसए के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.27 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को चिह्नित करने की गुंजाइश है।

...2/-

केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं कि वे एनएफएसए के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र एवं गरीब व्यक्तियों/परिवारों को चिह्नित करें। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस का अद्यतन करते रहते हैं, ताकि फर्जी राशन कार्डों को हटाया जा सके तथा यथोचित लाभार्थियों के बेहतर लक्ष्यीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। अतः अधिनियम के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाना तथा पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ): लाभार्थी कवरेज की समीक्षा, राशन कार्ड डेटाबेस के अद्यतन, पात्र लाभार्थियों को शामिल किए जाने, 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) को सुदृढ़ बनाने, शिकायत निवारण, पारदर्शिता तथा संबंधित पहलों के संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

i. **डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग**: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस 100% डिजिटल हो गया है; 99.7% राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं, जिससे फ़र्ज़ी/डुप्लिकेट राशन कार्डों को हटाया गया है।

ii. **पारदर्शिता और शिकायत निवारण:** सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण/टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालित हैं।

iii. **ऑनलाइन आबंटन और आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया; 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण किया गया (चंडीगढ़, पुद्दुचेरी तथा शहरी दादरा और नगर हवेली को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण अपनाया है)।

iv. **उचित दर दुकानों स्तर पर ईपीओएस-आधारित आधार प्रमाणीकरण:** 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से 5.50 लाख (99.8%) दुकानों को ईपीओएस डिवाइस से स्वचालित किया गया है, जिससे वितरण के समय लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है और राशन की हेराफेरी पर रोक लगती है।

v. **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी):** सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू की गई, जिसमें पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं; अब तक 221 करोड़ से ज़्यादा पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए गए हैं, जिससे लाभार्थियों के छूटने और डुप्लिकेट दावे करने की समस्या कम हुई है।

vi. **वास्तविक पात्र लाभार्थियों को लक्षित करना:** आधार/पीडीएस डाटा विश्लेषण का इस्तेमाल करके लाभार्थियों की डुप्लीकेट एंट्री हटाने और लाभार्थी सत्यापन की कार्यवाही के परिणामस्वरूप अपात्र/डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें हटाया गया; इसमें 5.95 करोड़ लाभार्थियों को चिह्नित किया गया (ज़मीन के मालिकाना हक वाले मामलों को छोड़कर) और 2.35 करोड़ लाभार्थियों को हटाया गया। एनएफएसए के तहत यथोचित लाभार्थी लक्ष्यीकरण के माध्यम से हटाए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

...3/-

vii. **स्मार्ट-पीडीएस सुधार पहलः** इसे राशन कार्ड प्रबंधन, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण के मॉड्यूल के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि राज्य-स्तर पर टीपीडीएस के प्रचालन को और अधिक मानकीकृत तथा डिजिटल रूप से एकीकृत किया जा सके।

viii. **निर्मल और सक्षमः** सार्थक-पीडीएस व्यापक योजना (2026–31) के तहत नई पहलें, जिनका उद्देश्य डाटा वास्तुकला/विश्लेषिकी (निर्मल) को सुदृढ़ करना और खाद्यान्न की खरीद से लेकर लाभार्थियों तक वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया (सक्षम) में वास्तविक समय डाटा एकीकरण (वीएलटीएस सहित) सुनिश्चित करना है।

यथोचित लाभार्थी लक्ष्यीकरण की कवायद के माध्यम से हटाए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

लोक सभा में "एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्न कवरेज की पर्याप्तता" के संबंध में दिनांक 05.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2884 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

यथोचित लाभार्थी लक्ष्यीकरण के कारण हटाए गए लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हटाए गए लाभार्थियों की संख्या
1	गुजरात	15,58,704
2	मध्य प्रदेश	7,18,968
3	छत्तीसगढ	2,09,940
4	आंध्र प्रदेश	6,31,849
5	राजस्थान	16,67,678
6	हरियाणा	17,65,459
7	उत्तर प्रदेश	31,21,226
8	लक्षद्वीप	3,933
9	महाराष्ट्र	73,44,074
10	त्रिपुरा	52,204
11	कर्नाटक	4,44,756
12	बिहार	17,68,896
13	केरल	3,04,879
14	ओडिशा	3,73,370
15	तेलंगाना	1,62,229
16	पंजाब	2,81,892
17	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	137
18	जम्मू और कश्मीर	43,183
19	तमिलनाडु	2,56,877
20	असम	13,00,729
21	झारखंड	7,84,020
22	चंडीगढ़	16,629
23	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9,637
24	पश्चिम बंगाल	3,61,151
25	नागालैंड	17,022
26	लद्दाख	677
27	मणिपुर	8,800
28	हिमाचल प्रदेश	36,992
29	दिल्ली	1,07,528
30	उत्तराखंड	80,355
31	सिक्किम	4,734
32	गोवा	3,247
33	पुदुचेरी	1,217
34	मिजोरम	10,817
35	मेघालय	2,071
36	अरुणाचल प्रदेश	27
कुल योग		**2,34,55,907**
